



2026:AHC:30938

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5515/2026

अशरफी लाल एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: गणेश शंकर दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी/प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी/प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 को अपील संख्या 2080/2024 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या सी202402000002080) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए निस्तारित किया जाता है कि वह उपरोक्त अपील का निर्णय कानून के अनुसार कड़ाई से और बिना किसी अनावश्यक स्थगन के शीघ्रता से करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 फरवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”